राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1398/2024

राकेश कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान मुख्य अभियंता (प्रशासन) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ड्रिलिंग क्षेत्र जयपुर।
4. श्रीमती विमला देवी सैनी, E.E. O/o (JICA) जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अजय राज टांटिया, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अधिशाषी अभियंता के पद पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ड्रिलिंग खण्ड अलवर में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा वर्तमान पदस्थापित स्थान से अधिशाषी अधिशाषी अभियंता, बेंगू में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी ने दिनांक 21.02.2024 को अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन प्रत्यर्थी संख्या 3 को कर दिया था। जिसमें अपीलार्थी ने अंकित किया है कि अपीलार्थी निजी एवं पारिवारिक कारणों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहता है। परंतु उक्त आवेदन के बावजूद भी प्रत्यर्थी विभाग ने आलोच्य स्थानांतरण आदेश अपीलार्थी को हेरान और परेशान करने की दृष्टि से जारी किया है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि विभागीय आक्षेपित आदेश दिनांक 22.02.2024 पूर्णतः प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं व्यापक जनहित को देखते हुए नियमानुसार राज्यहित में जारी किया गया है, उक्त आदेश में किसी भी प्रकार से कोई अवैधता एवं नियमों का उल्लंघन नहीं है तथ ना ही उक्त आदेश दुर्भावनापूर्वक आशय से जारी किया गया है।
3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 22.02.2024 को जारी किया गया है, जो संयुक्त शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया है। अपीलार्थी ने जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन पत्र दिया है, उसकी प्रति अनुलग्नक–2 के रूप में प्रस्तुत है। जिसके अवलोकन से प्रकट होता है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 26.02.2024 को प्राप्त किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रार्थना पत्र उसके स्थानांतरण आदेश के पश्चात प्रत्यर्थी विभाग को प्राप्त हुआ है। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश दुर्भावनापूर्वक जारी किया गया हो। अपीलार्थी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में होने वाली कठिनाईओं को दर्शाते हुए अपना अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत करने के लिए सदैव स्वतंत्र है। वर्तमान में हम आलोच्य आदेश को त्रुटिपूर्ण होना नहीं पाया जाता है।
5. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)